

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक:एफ.1(37)स्था./निकाशि/12/603 दिनांक: 21 सितम्बर, 2012


समस्त प्राचार्य,  
राजकीय महाविद्यालय  
राजस्थान,  
विषय :- व्याख्याताओं के वेतन आहरण से संबंधित।

निदेशालय स्तर पर प्रायः ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि विभिन्न व्याख्याताओं के वेतन आहरित नहीं हो पा रहा है।

आप सभी प्राचार्यों को यह निर्देशित किया जाता है कि ऐसे व्याख्याता जिनके वेतन आहरण में किसी प्रकार की समस्या आ रही है कि सूची (आर.ई.एस/आर.वी.आर.ई.एस कैडर पृथक से दर्शाते हुये) मय कारण इस कार्यालय को अवगत करावें। साथ ही सूचना को ई-मेल आई.डी sunadce@yahoo.in पर भी आवश्यक रूप से 26.09.2012 तक प्रेषित करें।

इस कार्य को प्राथमिकता प्रदान करें।


क्र.सं.	व्याख्याता का नाम	विषय	सेवा का प्रकार RES/RVRES	वेतन कब से आहरित नहीं हो रहा	वेतन न आहरित न किये जाने का कारण	विशेष टिप्पणी

  
(सुबीर कुमार)  
निदेशक

क्रमांक:एफ.2(1)स्था./निकाशि/07/ दिनांक: सितम्बर, 2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु: -

1. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक स्थापना/ कार्मिक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली/व्यक्तिगत पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)